

EX - 11111111

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1972/चैत्र 14, 1894

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1972 CHAITRA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd April 1972

SUBJECT.—Export effort by units engaged in priority or other industries during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72—Production of evidence regarding.

No. 49-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the policy contained in paras 18—21 in Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April-March, 1973 according to which preference will be given in the matter of imports of raw materials and components in the case of actual users exporting 10 per cent or more of their production during the calendar year 1971 or financial year 1971-72.

2. For the purpose of calculating the export performance, the following exports will also be taken into account, apart from the direct exports made by the actual user concerned—

- (i) Supplies of materials at international prices under the arrangement approved by the Government.

- (ii) Supplies made against IBRD/IDA Aided Projects in India.
- (iii) Exports made through eligible Export Houses.
- (iv) Supplies made by Indian firms in India under the Aid programmes of United Nations and other Multinational agencies at International prices and paid for in Free Foreign Exchange.

3. Accordingly, industrial units both in the large and small scale sector including public sector industrial undertakings engaged in priority or other industries should produce evidence of their export performance during the calendar year 1971 or financial year 1971-72.

4. In support of their export performance in relation to their production during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72 the actual users should submit a statement in the proforma annexed to this Public Notice after getting all the pages thereof duly certified and stamped by Chartered Accountant or Cost Accountant in practice who is not a partner or an employee of the concerned exporting unit or its associates.

5. The evidence in terms of this Public Notice should be produced by units engaged in priority industries and non-priority industries (where the end-products are covered by the import policy for Registered Exporters).

6. The required evidence should be produced to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi (Imports Policy Cell) on or before the 15th May, 1972.

7. The units engaged in the undermentioned industries need not furnish information required in terms of this Public Notice:—

- (i) Fertilizers;
- (ii) Pesticides;
- (iii) Industrial and Mining Machinery;
- (iv) Cement;
- (v) Tea;
- (vi) Jute Textiles;
- (vii) Coffee;
- (viii) Sugar;
- (ix) Cotton Textiles;
- (x) Coir;
- (xi) Cashew; and
- (xii) Unmanufactured tobacco.

8. The documentary evidence indicated in paragraph 4 above should be produced separately in respect of each end-product or group of end-products for which the unit has to apply for separate licences to import raw materials and components under the import policy.

9. The industrial units in the large scale sector engaged in the industries covered by Appendix 10 to the Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973 and which have been in production for a period of less than five years as on 1st January, 1972, should also produce alongwith the required evidence a certificate from the sponsoring authority concerned in support of their having been in production for less than five years.

10. In the case of industrial units which fail to produce the evidence indicated in this Public Notice, it will be held that they do not consider themselves eligible to any facilities that may be provided under the import policy for April 1972—March 1973 to the units having export performance to the extent as may be specified.

ANNEXURE I

Statement showing production, consumption, particulars of import licences issued under the import policy for Registered Exporters and F.O.B. value of exports

1. (i) Name and address of the Unit.
- (ii) D.G.T.D. or S.S.I. Unit
2. (i) End-product manufactured.
- (ii) Priority or non-priority.
- (iii) Name of the industry under which the end-product is covered.
- (iv) S. No. of the end-product under which it is classified in the Red Book (Vol. II).
- (v) Whether a consolidated import licence is being obtained for the manufacture of the end-product (mentioned against (2) above or separate licence are being obtained.)
3. (a) Book value of production (i.e. actual cost of production excluding excise duty and profit) of the end-product mentioned against (2) above, manufactured during the calendar year 1971 or financial year 1971-72.
- (b) Production in quantity.
4. Total f.o.b. value of exports in respect of goods manufactured by the units and exported during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72 to be indicated separately as under:—
 - (a) Exported in the Unit's own name.
 - (b) Exported through an Eligible Export House.
 - (c) Exported through merchant exporter.
 - (d) Components or parts or raw materials supplied at concessional prices, under arrangements approved by Government and exported in the finished product manufactured by others.
5. Total c.i.f. value of imported raw materials and components (not spare parts) consumed by the unit in the manufacture of end-product mentioned against (2) above. This should also include consumption of imported items of Iron and Steel.
6. Total c.i.f. value of import licences obtained by the unit under the import policy for Registered Exporters during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72 against the exports of the end-product mentioned at (2) above.
7. Particulars of import licences received under the import policy for Registered Exporters during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72.

No. and Date of the licence.	C.I.F. value	Description of goods.	Whether obtained as manufacturer— exporter or as nominee of merchant exporter or as nominee of manufacturer exporter.	Name of the licensing authority.
------------------------------	--------------	-----------------------	---	----------------------------------

8. Total f.o.b. value of exports in respect of goods manufactured by the unit and exported during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72.

(i) Exported in the Unit's own name;

(ii) Exported through an eligible Export House (Particulars to be furnished as in the form enclosed)—Annexure II.

(iii) (a) Exported through merchant exporters;

(b) Nomination received from the merchant exporters; and

(iv) (a) Components or parts of raw materials supplied at concessional prices, under arrangements approved by Government and exported in the finished products manufactured by others.

(b) Nomination received from the exporters.

9. No. and date of the certificate of export performance issued by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi in favour of the applicant and the percentage of exports made in respect of the licensing period 1971-72.

I hereby declare that the particulars given in this statement are correct and nothing has been concealed or withheld therefrom. I understand that if any information is found to be incorrect, it will render me liable to rejection of my claim, without prejudice to any other action that may be taken against me in this behalf.

	Signature of the applicant_____
Place _____	Name_____
Date _____	Address_____

CERTIFIED TO BE CORRECT

	Signature and Stamp of Chartered Accountant/ Cost Accountant_____
Place _____	
Date _____	Address_____

NOTE.—All the pages of the statement should be got certified and stamped by a practising Chartered Accountant or Cost Accountant.

ANNEXURE II

Particulars of Exports made through an eligible Export House vide item R(ii) of

ANNEXURE I

- (1) Name of the Unit.
- (2) End-product manufactured.
- (3) F.O.B. value of exports made during the calendar year 1971 or financial year 1971-72.

(4) Name of the Eligible Export House with No. and date of the Eligibility Certificate, through whom the exports referred to in (3) above, were made.

I hereby declare that the particulars given in the statement, are correct and nothing has been concealed or withheld therefrom. I understand that if any information is found to be incorrect, it will render me liable to rejection of my claim, without prejudice to any other action that may be taken against me in this behalf.

Signature of the

applicant _____

Place _____

Name _____

Date _____

Address _____

Certified to be correct.

Signature and Stamp
of Chartered Accountant/
Cost Accountant _____

Place _____

Date _____

Address _____

NOTE.—A declaration from the Eligible Export House concerned to the effect that the goods referred to at (2) above have been exported through them for a value of Rs. _____ (FOB) during the calendar year 1971 or financial year 1971-72, should be attached with the Statement.

2. This Annexure should also be supported by satisfactory documentary evidence.

ANNEXURE III

A statement of nominations made by the unit in favour of other manufacturers during the calendar year 1971 or the financial year 1971-72 under the import policy for Registered Exporters

Name of Nominee	Period of Export	F.O.B. Value of exports	Value of import licence obtained by the nominee	Remarks.
--------------------	---------------------	----------------------------	---	----------

Place_____

Date_____

Signature of applicant_____

Name_____

Address_____

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1972

विषय पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त या अन्य उद्योगों में लग हुए एककों द्वारा निर्यात उपलब्धि—उसके सम्बन्ध में साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण ।

संख्या : 49 आई० टी० सी० (पी० एम०)/71 अप्रैल-मार्च, 1973 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के भाग 1 में कंडिका 18-21 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, कच्चे माल और संघटकों के सम्बन्ध में उन वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में जो पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक का निर्यात कर रहे हों, वरीयता दी जाएगी ।

2. निष्पादन का परिकलन करने के लिए संबंधित वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निर्यात के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्यातों को भी इसके हिसाब में रखा जाएगा :—

- (1) सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्था ने अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर वस्तुओं के संभरण ।
- (2) भारत में आई० वी आर० डी/आई० ए० डी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मद्दे किए गए संभरण ।
- (3) उपयुक्त निर्यात सदनों के माध्यम से किए गए निर्यात ।
- (4) संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायता कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अन्य विधि राष्ट्रीय अभिकरणों के अन्तर्गत भारत में भारतीय फर्मों द्वारा किए गए निर्यातों और जिनका भुगतान स्वतंत्र विदेशी विनियम के लिए किया गया था ।

3. तदनुसार, बृहत् तथा लघु क्षेत्र के दोनों प्रकार के औद्योगिक एकक जिन में सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक प्रक्रम भी शामिल है जो प्राथमिकता प्राप्त या अन्य उद्योगों में लगे हुए हैं, उन्हें पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान के अपने निर्यात निष्पादन का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ।

4. पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान अपने उत्पादन से सम्बन्धित अपने निर्यात निष्पादन के समर्थन में वास्तविक उपयोक्ताओं को इस सार्वजनिक सूचना में अनुबन्धित प्रपत्र में उसके सभी पृष्ठों को ऐसे व्यवसायी सनदी लेखापाल से या लागत लेखापाल से जो सम्बन्धित निर्यात करने वाले एककों या इससे सम्बन्धित संगठनों में भागीदार न हो या उसमें कर्मचारी न हो बिधिवत् साक्ष्यांकित कराकर तथा स्टैम्प लगवा कर एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

5. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योग और अप्राथमिकता प्राप्त उद्योगों (जहां पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत अन्तिम उत्पाद आते हों) में लगे हुए एककों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

6. अपेक्षित साक्ष्य को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली (आयात नीति सेल) को 15 मई, 1972 को या उसके पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।

7. नीचे उल्लिखित उद्योगों में लगे हुए एककों को इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अपेक्षित सूचना भेजने की जरूरत नहीं है :—

- (1) उर्वरक;
- (2) कीटनाशक दवाई;
- (3) औद्योगिक तथा खान मशीन;
- (4) सीमेंट;
- (5) चाय;
- (6) पाट वस्त्र;
- (7) काफ़ी;
- (8) चीनी;
- (9) सूती वस्त्र;
- (10) नारियल जटा;
- (11) काजू; तथा
- (12) अनिर्मित तम्बाकू।

8. उपर्युक्त कंडिका 4 में संकेतित प्रलेखीय साक्ष्य को प्रत्येक अन्तिम उत्पाद या अन्तिम उत्पाद वर्ग के सम्बन्ध में जिसके लिए एकक को आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिए अलग अलग लाइसेंसों के लिए आवेदन करना है, अलग अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. वृहत् उद्योगों के उन औद्योगिक एककों के जो अप्रैल, 72;—मार्च, 73 के लिए बुक (वा० 1) के अनुबन्ध 10 में आने वाले उद्योगों में लगे हुए हैं और जिन्हें जनवरी, 72 को 5 वर्षों से कम की अवधि के लिए उत्पादन में लगाए गए हैं, उन्हें भी साक्ष्य के साथ सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारी से प्राप्त उनकी पांच वर्षों से कम के लिए उत्पादन के समर्थन में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

10. उन औद्योगिक एककों के मामले में जो इस सार्वजनिक सूचना में संकेतिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ हों तो यह समझा जाएगा कि वे अपने आपको ऐसे किसी सुविधा के लिए उपयुक्त नहीं समझते जो अप्रैल, 72—मार्च, 73 के लिए आयात नीति के अन्तर्गत उस सीमा तक जिसका उल्लेख किया जा सकता है, निर्यात निष्पादन करने वाले एककों को दी जा सकती है ।

अनुबंध (1)

उत्पादन उपभोग, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के व्यौरों और निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र ।

1. (1) एकक का नाम और पता

(2) तकनीकी विकास महानिदेशालय एकक या लघु-उद्योग एकक ।

2. (1) निर्माण किया गया अन्तिम उत्पाद ।

(2) प्राथमिकता प्राप्त या अप्राथमिकता प्राप्त ।

(3) उद्योग का नाम जिसके अन्तर्गत अन्तिम उत्पाद शामिल है ।

(4) अन्तिम उत्पाद की क्रम संख्या जिसके अन्तर्गत यह रैंड बुक (वा० 2) में वर्गीकृत है ।

(5) क्या अन्तिम-उत्पाद (उपर्युक्त 2 के सामने उल्लिखित) के निर्माण के लिए एक समेकित आयात लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है अथवा अलग अलग लाइसेंस प्राप्त किए जा रहे हैं ।

3. (क) पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान निर्माण किए गए उपर्युक्त (2) के सामने उल्लिखित अन्तिम उत्पाद के उत्पादन का बही-मूल्य (अर्थात् उत्पाद शुल्क और लाभ को छोड़कर उत्पादन की वास्तविक लागत ।)

(ख) मात्रा में उत्पादन ।

4. पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान एककों द्वारा निर्माण किए गए और निर्यात किए गए माल के संबंध में निर्यातों का कुल जहाज-पर्यन्त निशुल्क मूल्य के निम्नलिखित अनुसार अलग से निर्दिष्ट करना है :—

(क) एकक के अपने नाम में किया गया निर्यात ।

(ख) प्राप्त निर्यात सदन के माध्यम से किया गया निर्यात ।

(ग) व्यापारी निर्यातक के माध्यम से किया गया निर्यात ।

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं के अधीन रियायती कीमतों पर संभरित किए गए और दूसरों द्वारा निर्मित तैयार उत्पाद के रूप में निर्यात किए गए संघटक या पुर्जे या कच्चा माल ।

5. उपर्युक्त (2) के सामने उल्लिखित अन्तिम उत्पाद के निर्माण में लगे हुए एकक द्वारा उपभोग किए गए आयातित कच्चे माल और संघटकों (फालतू पुर्जे नहीं) का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य । इसमें जोड़ा तथा इस्पात की आयातित भदों की खपत भी शामिल होनी चाहिए ।

6. पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अन्तिम-उत्पाद के निर्यात के बदले एकक द्वारा प्राप्त किए गए आयात लाइसेंसों का कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य ।

7. पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन प्राप्त किए गए आयात

लाइसेंसों के ब्यौरे :-

लाइसेंस की संख्या और दिनांक	लागत बीमा माल का भाड़ा मूल्य विवरण	क्या निर्माणकर्ता-निर्यातक के रूप में अथवा व्यापारी निर्यातक प्राधिकारी नामित के रूप में अथवा निर्माण का नाम के नामित के रूप में अथवा निर्माणकर्ता निर्यातक के नामित के रूप में प्राप्त किया गया ।
--------------------------------	---------------------------------------	---

पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान एकक द्वारा निर्मित और निर्यातित माल के सम्बन्ध में निर्यातकों का कुल जहाज-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य :-

- (1) एकक के अपने नाम में किया गया निर्यात
- (2) पात्र निर्यात सदन के माध्यम से किया गया निर्यात (ब्यौरे संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने हैं) —अनुबन्ध—2
- (3) (क) व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से किया गया निर्यात,
(ख) व्यापारी निर्यातकों से प्राप्त किया गया नामांकन और
- (4) (क) सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं के अधीन रियायती कीमतों पर संभरित किए गए और दूसरों द्वारा निर्मित तैयार उत्पाद के रूप में निर्यात किए गए संघटक या पुर्जे या कच्चा माल ।
(ख) निर्यातकों से प्राप्त किया गया नामांकन ।

9. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा आवेदक को जारी किए गए निर्यात निष्पादन के प्रमाणपत्र की सं० और दिनांक तथा लाइसेंस-अवधि 1971-72 में किए गए निर्यात की प्रतिशतता ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस विवरण में दिए गए ब्यौरे सही हैं और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है या दबा कर रखा नहीं गया है । मुझे ज्ञात है कि यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसके लिये मेरे विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही का पक्ष लिए बिना, मुझे अपने दावे से बंचित कर दिया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम :

दिनांक :

पता :

सत्यता प्रमाणित की जाती है ।

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल ।

के हस्ताक्षर और मोहर

स्थान :

दिनांक : पता :

टिप्पणी :—विवरणपत्र के सभी पृष्ठ व्यवसायी सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित करा लेने चाहिये और उन पर मोहर लगवा लेनी चाहिये ।

अनुबन्ध 2

- (1) एकक का नाम ।
- (2) निर्मित अन्तिम उत्पाद ।
- (3) वर्ष 1971 अथवा वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान किए गए निर्यातों का जहाज पर निःशुल्क मूल्य ।
- (4) अर्हता प्रमाण पत्र की सं० और दिनांक के साथ पात्र निर्यात सदन का नाम जिसके माध्यम से उपर्युक्त (3) में दिखाए गए, निर्यात किए गए थे ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस विवरण में दिए गए ब्यौरे सही हैं और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है या दबा कर रखा नहीं गया है । मुझे ज्ञात है कि यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसके लिये मेरे विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही का पक्ष लिए बिना, मुझे अपने दावे से वंचित कर दिया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर, ...

स्थान :

नाम :

दिनांक :

पता :

सत्यता प्रमाणित की जाती है ।

सनदी लेखापाल/
लागत लेखापाल के
हस्ताक्षर और स्टाम्प :

स्थान :

दिनांक :

पता :

टिप्पणी :—विवरण पत्र के साथ सम्बद्ध पात्र निर्यात सदन से एक घोषणा पत्र इस सम्बन्ध में संलग्न करना चाहिये कि पंचांग वर्ष 1971 या वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान उपर्युक्त (2) पर उल्लिखित माल रुपये (जहाज-पर्यन्त निःशुल्क) मूल्य के लिये उनके माध्यम से निर्यात किया गया है ।]

2. इस अनुबन्ध को सन्तोषजनक प्रलेखीय साक्ष्य के साथ समर्थित होना चाहिये ।

अनुबन्ध 3

पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत पंचांग वर्ष 1971 अथवा वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान एकक द्वारा अन्य विनिर्माताओं के नाम में किए गए नामांकनों का एक विवरण ।

नामित व्यक्ति का नाम	निर्यात की अवधि	निर्यात का जहाज पर निःशुल्क मूल्य	नामित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य	टिप्पणी
----------------------	-----------------	-----------------------------------	---	---------

स्थान ।
दिनांक ।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम :
पता :

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

